

अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 6 जुलाई, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धन कर एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। एक्ट उत्तर प्रदेश में वस्तुओं की बिक्री पर कराधान की मूल्य संवर्धन प्रणाली को पेश करता है। अध्यादेश विशेष स्थितियों में एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के पालन की समय सीमा को बढ़ाने का प्रावधान करता है।
- **सरकार के पास विशेष स्थितियों में समय सीमा बढ़ाने की शक्ति:** अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार एक अधिसूचना के जरिए एक्ट से जुड़े विभिन्न कार्यों की समय सीमा को बढ़ा सकती है। ऐसे कार्य जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण पूरे नहीं किए जा सके। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) टैक्स रिटर्न जमा कराना, और (ii) कारोबार में बदलाव इत्यादि से संबंधित सूचना देना। अप्रत्याशित घटनाओं में प्राकृतिक या अन्य आपदाएं शामिल हैं जिनका असर एक्ट के प्रावधानों को लागू करने पर पड़ता हो। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) युद्ध, (ii) महामारी, (iii) बाढ़, (iv) सूखा, (v) आगजनी, (vi) चक्रवात, (vii) भूकंप, या ऐसी अन्य आपदा।
- अध्यादेश राज्य सरकार को इस बात की शक्ति देता है कि वह ऐसी अधिसूचनाओं को पूर्व प्रभावी बना सकती है। हालांकि एक्ट के लागू होने की तारीख यानी 1 जनवरी, 2008 से पहले की तारीख से यह प्रभावी नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।